

22/07/24

पत्रावली पेश हुई मधिवक्ता मपीलोरगण।  
 मधिवक्ता मपीलोर ने निवेदन किया  
 कि साबिक का कार्य होने से पत्रावली  
 में पेशी पर हाज़िर नहीं हो सका।  
 मपीलोरगण ग्रामीण परिवार के सनातन  
 व्यक्ति होने से वह मधिवक्ता द्वारा  
 पेशी तारीख से हाज़िर न करने  
 से पेशी तारीख की जानकारी न  
 होने से उपस्थित नहीं हो सका। मधिवक्ता



की गलती भी लगभग पहचाना  
 जा रहा है। अतः  
 मपीलोरगण का आवेदन मन्दल/मिना  
 शुमार की जा रही है। मपीलोरगण  
 नंबर पर दर्ज है।

मधिवक्ता मपीलोर की पत्रावली पर  
 एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस  
 सुनने एवं पत्रावली का मबलोकन  
 करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है  
 कि एक मधिवक्ता की गलती की

*(Signature)*

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
 मुजफ्फरगढ़

मपन पसंकावत को देना मासोपि  
 नही हो मपीलाएग को मपन पकल  
 गुणवगुण पर निपटाने का माका  
 देना मासोपि हो मपीलाएग के  
 शपथ-पत्र पर विश्वास किया जाकर  
 मावेद को मन्द निपाद वगपर  
 कर महत्तर मावेद को लीका  
 किया जाता हो तथा मादेश कि  
 जाते है कि मूल मपील पत्रावली पुनः  
 पुनः नकर पर दर्ज हो पत्रावली  
 के मूल शुमार नकर से कम होकर  
 वाद तकलील दायिल दफर हो  
 मादेश से इन्लीग बुनामा गया



राजस्व अपील प्राधिकारी  
 माइमेर